Ensure Unemployment Benefits to All Workers

Ramshankar Dwivedi, 28 years of age, hails from Adarshgram, a village located in the Munger district of Bihar. His father Dayashankar Dwivedi is a street hawker in Munger town. He travels from door to door with baskets full of fruits and vegetables for sale. Being the only male child among 5 girls, Ramshankar was brought up with great care and was considered to be 'ghar ka chirag' – the only real expectation of the security of the family.

Hawking all day and braving poverty, Dayashankar educated his son and made him a graduate. Immediately after graduation, Ramshankar registered his name with the city employment exchange and applied for all the vacant posts for which he was eligible.

After seven years of futile waiting, Ramshankar finally decided to take up manual work through National Rural Employment Guarantee Scheme.

"There are thousands like me who have registered with the employment exchange thinking that one day the government will provide us a decent job. But all our waiting has been futile. I should have either opted to help my father in hawking or should have taken up manual work earlier. This would have helped my family survive. The only other option before me was to migrate to metros in search of a job", says a disgruntled Ramshankar.

The Indian Government passed the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 with the aim to empower unorganised workers. The Act but does not address the issue of the millions of workers who are unemployed – both those registered with the numerous employment exchanges and those who have not done so. If providing employment for the unemployed is not a priority of the government, don't you think that they should at least compensate them for their endless wait?

The UWSS Act 2008 should be amended with a clause which states that providing jobs for the unemployed will be given priority, and that if person are not able to find employment (or, if the government is not able to provide employment) that they will be compensated with monetary benefits. The demand is to give them 50 per cent of the need based wage fixed by the central government.

सभी मजदूरों को बेरोजगारी लाभ दो।

28 साल का रमाशंकर द्विवेदी बिहार के मुंगेर जिले में आदर्शग्राम नामक गांव का रहने वाला है। उसके पिता दयाशंकर द्विवेदी मुंगेर में ही सड़क पर फेरी लगाते हैं। दयाशंकर द्विवेदी फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर घर-घर आवाज लगाते घूमते हैं। रमाशंकर पांच बहनों का इकलौता भाई है। मां-बाप ने उसको बड़े नाज से पाला है। उनके लिए वही घर का चिराग है।

दिन भर घर-घर के फेरे लगाकर और तमाम गरीबी का सामना करके दयाशंकर ने अपने बेटे को पढ़ा-लिखा कर स्नातक बना दिया है। स्नातक होते ही रमाशंकर ने शहर के रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराया और उन तमाम खाली नौकरियों के लिए अर्जी भेज दी जिनके लिए वह शैक्षिक योग्यता रखता है।

7 साल तक इंतजार करने के बाद आखिरकार रमाशंकर ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी करने का मन बना लिया है।

रमाशंकर बहुत उखड़े स्वर में कहता है, "मेरे जैसे हजारों हैं जिन्होंने इस उम्मीद से रोजगार दफ्तर में नाम लिखाया था कि एक दिन सरकार उन्हें इज्जत की नौकरी दे देगी। अंत में ये सारा इंतजार बेकार चला जाता है। मुझे पहले ही या तो पिताजी के साथ फेरी शुरू कर देनी चाहिए थी या कहीं मजदूरी पकड़ लेनी चाहिए थी। तब कम से कम मेरा परिवार आराम से रोटी तो खा पाता। अब मेरे पास सिर्फ यही एक चारा बचा है कि मैं नौकरी के लिए किसी बड़े शहर चला जाऊं।"

भारत सरकार ने असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को असंगठित श्रमिकों के सबलीकरण के उद्देश्य से पारित किया था। परंतु यह कानून ऐसे करोड़ों लोगों के बारे में खामोश है जिनके पास रोजगार नहीं है। जो रोजगार कार्यालयों में नाम लिखा चुके हैं और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसे सभी बेरोजगार इस कानून के दायरे से बाहर हैं। अगर सरकार की राय में बेराजगारों को नौकरी देना कोई अहम काम नहीं है तो कम से कम उन्हें अपने इस कभी न खत्म होने वाले इंतजार के लिए मुआवजा तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है?

यूडब्ल्यूएसएस अधिनियम 2008 में संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। इस संशोधन में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सरकार पहले बेरोजगारों को नौकरी दे और अगर कोई व्यक्ति रोजगार नहीं ढूंढ पाता है (या सरकार उसे रोजगार नहीं दे पाती है) तो उसे आर्थिक मुआवजा मिले। हमारा मानना है कि ऐसे बेरोजगारों को केंद्र सरकार द्वारा तय की गयी आवश्यकता आधारित मजदूरी का 50 प्रतिशत मिलना चाहिए।